''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी 2007—पौष 15, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक ई-7/05/2005/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 20-10-2006 द्वारा सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से., कलेक्टर, कोरिया को दिनांक 23-10-2006 से 04-11-2006 तक (13 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 23-10-2006 से 27-10-2006 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22 अक्टूबर, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2.—श्री पी. जॉय उम्मेन, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 23-12-2006 से 02-01-2007 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री उम्मेन, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री उम्मेन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित कि जाता है कि यदि श्री उम्मेन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26-दिसम्बर 2006

क्रमांक ई-7/40/2004/1/2.—श्री डॉ. बी. एस. अनंत, भा. प्र. से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 11-12-2006 से 15-12-2006 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09, 10, 16, 17 एवं 18 दिसम्बर, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अनंत, आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. अनंत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अनंत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

क्रमांक ई-7/3/2006/1/2.—श्री जे. मिंज, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 26-12-2006 से 30-12-2006 (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24, 25 एवं 31 दिसम्बर, 2006 तथा दिनांक 01 जनवरी, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1346/1050/2006/1-8/स्था.—श्री एस. आर. सेजकर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 11-12-2006 से 15-12-2006 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. इनके अवकाश अवधि में श्री विजय कुमार सिंह, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ श्री सेजकर का कार्य संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री सेजकर को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सेजकर अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पंद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर, तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1348/1060/2006/1-8/स्था.—श्री टी. सी. महावर, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 22-12-2006 से 3-1-2007 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टी. सी. महावर को अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं संस्कृति विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. सी. महावर अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त सचिव, वन एवं संस्कृति विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1350/1049/2006/1-8/स्था.—श्री पी. सी. मिश्रा (भावसे) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 19-12-2006 से 30-12-2006 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 16, 17, 18 एवं 31-12-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. मिश्रा को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1352/1045/2006/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 11-12-2006 से 15-12-2006 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

फा. क्र. 14288/डी-3149/21-ब/छ. ग./06.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, सत्र खण्ड उत्तर बस्तर, कांकेर के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 12281/डी-2539/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 9-10-06 के सरल क्रमांक 3 को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायाधीश को उसके कॉलम नं. (3) में इस अधिनियम के अपराधों के विचारण के लिए अधिसूचना जारी होने के दिनांक से विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :-

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विशेष न्यायालय (2)	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड (3)
1.	सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर (कांकेर)	उत्तर बस्तर (कांकेर)

F. No. 14288/D-3149/XXI-B/C. G./06.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) and in supersession of Serial No. 3 of this department's notification No. 12281/D-2539/XXI-B/06, dated 9-10-06 is related to Sessions Division Uttar Bastar (Kanker) specifying Court of Sessions under section 3 of prevention of Corruption Act, 1988, the State Government hereby appoints the Sessions Judge specified in column (2) of the Schedule below to be the Special Judge for the local area specified in corresponding entries in column (3) thereof to trial the cases exclusively relating to offence mentioned in clause (a) and (b) of the said sub-section of the said Act with effect from issuing the date of notification :—

TABLE

S. No. (1)	Special Court (2)	Local Area/Session Division (3)
1.	Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker)	Uttar Bastar at Kanker

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्रमांक 14262/3266/21-ब/2006.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तर्था 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) पास्टर सुरजीत कुमार दास, क्रिश्चियन चर्च, एम. आई. सी. एस., केंवटाडीह, अमोरा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में :-

1. विवाह अनुष्ठापित कराने, और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासंपुर जिला के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 14262/3266/21-B/2006.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act 1872 (No. 15 of 1872), The State Government are pleased to grant license to the (Minister of Religion) Paster Surjet Kumar Das, Christian Church, M. I. C. S., Kewtadih, Amora, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh, for Bilaspur District State of Chhattisgarh :-

1. To Solemnize Marriage, and
2. To grant Certificate of marriages between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक/5350/डी-15/116/2003-04/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 59 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 308/डी-15/116/2003-04/14-3, दिनांक 13-5-2004 में और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

अंक 2006 के स्थान पर अंक 2007 प्रतिस्थापित किया जाये.

No./5350/D-15/116/2003-04/14-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby makes the further amendment in the Department Notification No. 308/D-15/116/2003-04, dated 13-5-2004, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,—

For the figure 2006, the figure 2007 shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2005/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती अनिता जी. रावते, महासमुंद, छत्तीसगढ़ को जिला उपभोक्ता फोरम, महासमुंद में सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2005/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 548 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, विशेष सचिव.

Raipur, the 20th December 2006

No. F 5-1/food/2005/29.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) on the recommendation of the Selection Committee, the State Government is hereby appoint Smt. Anita G. Raote, Mahasamund, Chhattisgarh as the member in the District Consumer Forum, Mahasamund with effect from the taking over the charge for a period of 5 years or 65 years age whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT, Special Secretary.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2006

क्रमांक 9358/10843/06/19/तक.—राज्य शासन एतद्द्वारा धमतरी बालोद मार्ग के कि. मी. 21/8 पर निर्मित तार्री पुल की निर्माण लागत की राशि पथकर के रूप में पूर्ण रूप से वसूल की जा चुकी है. अतः विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 23/15/96/19, दिनांक 13-11-1996 के अनुरूप उक्त पुल पर लगाया गया पथकर दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से समाप्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक पार्ट एफ 9-8/2004/16.—राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16-12-2005 द्वारा बिलासपुर में औद्योगिक न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की स्वीकृति दी गई है. उक्त खंडपीठ के कार्यक्षेत्र में जिला-बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा और कोरिया सम्मिलित होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ 8-9/2006/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा के बायलर क्रमांक-एम. पी. /3224 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 13-11-2006 से 12-01-2007 तक की छूट प्रदान करता है :-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

क्रमांक 10034/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	करियाटोला प. ह. नं. 16	0.559	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के करियाटोला डोंगरगांव वितरक नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना) जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

क्रमांक 10035/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	चिरचारीखुर्द प. ह. नं. 59	0.653	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के चिरचारीखुर्द लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना) जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

क्रमांक 10036/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	आमगांव प. ह. नं. 60	1.413	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के आमगांव नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना) जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 11 दिसम्बर 2006

क्रमांक 2628/प्र. 1/भू-अर्जन/06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुरुर	नारागांव	3.70	अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला जल संसाधन अनुविभाग-आदमाबाद.	सिंगरा कोन्हा जलाशय उलट वियर निर्माण में भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 2/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कोरजा	0.911	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	खुदरी जलाशय शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 11 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोतासुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.810 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	43	0.810
योग		0.810

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोतासुरा जलाशय हेतु पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1936/प्र. 1/ 2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-खुड़मुड़ा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.43 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	344	0.02
	495	0.02
	505	0.16
	345	0.02
	510	0.02
	506	0.11
	346	0.02
	499	0.02
	507	0.04
योग		0.43

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 19/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सिलपहरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.276 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	257	0.061
	425/2	0.073
	421	0.081
	667/1, 669/1	0.061
योग	4	0.276

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिलपहरी जलाशय डूब क्षेत्र एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 मई 2006

रा. प्र. क्र./10/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-पोडिपा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.048 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
662/36	0.121
464/24	0.162
464/45	0.283
662/48	0.405
464/33	0.142
464/29	0.142
628/3	0.121
464/21	0.324
464/22	0.222
661/20	0.065
464/8	0.101
464/5	0.202
464/27	0.142
688/2	0.340
464/12	0.101
464/25	0.142
710/5	0.405
464/7	0.142
464/50	0.777
464/48	0.162
689/2	0.081
662/53	0.287
661/21	0.809
464/20	0.162
464/40	0.121
464/36	0.142
488/2	0.208
464/17	0.809
662/56	0.324
688/1	0.105
464/22	0.101
464/37	0.142
490/2	0.110
464/16	0.534
485/2	0.121
689/1	0.259
464/49	0.263
464/34	0.162
464/54	0.101
योग	12.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

क्रमांक 3148/खनि/2006.—म. प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम-12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बिलासपुर (छ. ग.) में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	खनिज	भूमि का प्रकार
बिलासपुर	मस्तुरी	भदौरा	431/2, 433/2, 6 एवं 448/2, 3, 4	1.426 हे.	चूनापत्थर	निजी

गौरव द्विवेदी,
कलेक्टर.

राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2006

क्रमांक 2731/स्थापना/रा. मं./2006.—अधिसूचना क्रमांक 1568/स्थापना/रा. मं./2006, दिनांक 06 सितम्बर 2006 के द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई के लिये कार्य विभाजन की व्यवस्था में प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत दिवसों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

(एक)	श्री व्ही. के. कपूर, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़.	(1)	राजस्व मण्डल, मुख्यालय बिलासपुर में सामान्यत: सोमवार एवं मंगलवार.
		(2)	सर्किट कोर्ट रायपुर में सामान्यत: बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार.
(दो)	श्री आर. सी. सिन्हा, सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़.	(1)	राजस्व मण्डल, मुख्यालय बिलासपुर में प्रत्येक बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार.
		(2)	सर्किट कोर्ट रायपुर में सोमवार एवं मंगलवार.

2. न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई के लिये कार्य विभाजन की शेष व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी.

3. राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर/सर्किट कोर्ट रायपुर/जगदलपुर में नियत तिथि को अध्यक्ष के अनुपस्थिति में सदस्य एवं सदस्य के अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा आवश्यक प्रकरणों में सुनवाई की जा सकेगी.

4. यह व्यवस्था फरवरी 2007 से लागू होगी.

व्ही. के. कपूर,
अध्यक्ष.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्रमांक 231/दो-2-35/2004.—श्री सुरेन्द्र तिवारी, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग (छ. ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 12-10-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्रमांक 232/दो-2-4/03.—श्री डी. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर (छ. ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-10-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्रमांक 233/दो-2-19/01.—श्री जी. सी. बाजपेयी, ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर (छ. ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 25-9-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. आर. एल. नारायणा, एडीशनल रजिस्ट्रार (लेखा).